[2011] 7 एस.सी.आर. 748

झारखंड राज्य और अन्य

बनाम

अशोक कुमार डांगी व अन्य

(2010 की सिविल अपील संख्या 8118-21)

जुलाई 4, 2011

[जी. यस. सिंघवी और चंद्रमौली के.आर. प्रसाद, जे. जे.]

सेवा कानून:

झारखंड राज्य में प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के पदों पर भर्ती - पात्रता - सी.पी.एड./डिप्लोमा पी.एड. धारक उम्मीदवारों का दावा - उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बिहार राज्य की नीति को ध्यान में रखते हुए कुल रिक्तियों में से 5% शारीरिक रूप से प्रशिक्षित उम्मीदवारों से भरने का निर्देश दिया - निर्णय - प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के कितने पद शारीरिक रूप से प्रशिक्षित उम्मीदवारों से भरे जाएंगे, यह अनिवार्य रूप से राज्य को तय करने के लिए नीति का प्रश्न है - उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य की नीति पर भरोसा करने और प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के 5% पदों को शारीरिक रूप से प्रशिक्षित उम्मीदवारों से भरने का निर्देश देकर गलती की - बिहार राज्य में नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले अधिनियम और नियम झारखंड राज्य में नियुक्ति को नियंत्रित नहीं करते हैं और उन्हें नियमों के नियम 16 द्वारा विशेष रूप से निरस्त कर दिया गया है - हालांकि यह समीचीन समझा जाता है कि यदि अधिकारियों ने कोई नीति नहीं बनाई है, तो उन्हें नियुक्ति की अपनी अगली प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक नीति बनानी चाहिए - झारखंड प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियम, 2002 - 2(बी), (iii) और नियम 16 - भारत का संविधान, 1950 ।

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 226 - उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा रिट अपील में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के 5% रिक्त पदों को शारीरिक प्रशिक्षित उम्मीदवारों से भरा जाए|

निर्णित: किसी भी समय रिट याचिकाकर्ताओं ने नियमों के संशोधन या आयोग द्वारा जारी शुद्धिपत्र को चुनौती नहीं दी थी - न तो कोई क़ानून, न ही नियम और न ही झारखंड राज्य की नीति में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पदों का एक निश्चित प्रतिशत शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरने का प्रावधान है - शारीरिक रूप से प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार को कोई भी निर्देश नीति बनाने के बराबर होगा और नीति के मामले में ऐसा कोई भी निर्देश अनुचित है - झारखंड प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियम, 2002।

झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2002 के नियम 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24-8-2002 के विज्ञापन द्वारा सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। नियमावली के नियम 2(बी) को झारखंड प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2003 द्वारा संशोधित किया गया, जो 6-3-2003 को प्रकाशित हुआ, जिसमें नियमावली के नियम 2(बी) के खंड (iii) में निर्धारित किया गया, "केवल शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए C.P.Ed / Dip.P.Ed"। परिणामस्वरूप, आयोग ने दिनांक 22-4-2003 को शुद्धिपत्र प्रकाशित किया और प्रावधान किया कि सी.पी.एड./डिप्लोमा पी.एड. धारक उम्मीदवार केवल शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों के लिए रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए पात्र माने जाएंगे।

उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें राज्य सरकार और उसके पदाधिकारियों को आदेश देने के लिए एक रिट जारी करने की प्रार्थना की गई थी कि वे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की सभी रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए C.P.Ed / Dip.P.Ed. वाले उम्मीदवारों के मामलों पर भी विचार करें। एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका

को खारिज कर दिया। हालांकि, रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बिहार राज्य की नीति को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की कुल रिक्तियों के 5% पर शारीरिक प्रशिक्षित उम्मीदवारों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया। व्यथित होकर, राज्य सरकार ने अपील दायर की।।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय

निर्णित: 1.1 यह अच्छी तरह से स्थापित है कि राज्य सरकार को नीति निर्धारण में स्वतंत्रता और आज़ादी होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के कितने पद शारीरिक प्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरे जाएँगे, यह अनिवार्य रूप से राज्य के लिए नीति का प्रश्न है। नीति निर्धारण में, विभिन्न इनपुट की आवश्यकता होती है और न्यायालय के लिए यह न तो वांछनीय है और न ही उचित है कि वह सरकार को कोई विशेष नीति अपनाने के लिए निर्देश दे या संक्षेप में बताए जिसे वह उचित या उचित समझे। [पैरा 11] [759-जी-एच; 760-ए-बी]

1.2. वर्तमान मामले में, शिक्षण में प्रशिक्षित उम्मीदवारों का दावा है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पद उनके द्वारा भरे जाने चाहिए और शारीरिक रूप से प्रशिक्षित उम्मीदवारों को केवल शारीरिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए ही माना जाना चाहिए; जबकि शारीरिक रूप से प्रशिक्षित उम्मीदवारों का तर्क है कि उन्हें दोनों पदों के लिए नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए। इन परस्पर विरोधी दावों को नीति निर्माताओं द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, न्यायालय के पास प्राथमिक विद्यालयों की संख्या, शारीरिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा खर्च किए जा सकने वाले संसाधन और उनकी आवश्यकता जैसे आँकड़े नहीं हैं। ऐसी स्थिति में, नीति के मामलों में कोई भी निर्देश अनावश्यक है। [पैरा 11] [760-सी-ई]

1.3. बिहार राज्य में नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले अधिनियम और नियम झारखंड राज्य में नियुक्ति को नियंत्रित नहीं करते हैं और उन्हें झारखंड प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियम, 2002 के नियम 16 द्वारा विशेष रूप से निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा, दोनों राज्यों की ज़रूरतें समान नहीं हो सकती हैं और इसलिए झारखंड राज्य के लिए इस संबंध में

एक नीति तैयार करना आवश्यक था। इसके मद्देनजर, उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य की नीति पर भरोसा करके और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के 5% पदों को शारीरिक प्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरने का निर्देश देकर गलती की। [पैरा 12] [760-एफ-एच; 761-ए]

पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम बलबीर सिंह एवं अन्य 1976 (2) 8 एससीआर 115 =(1976) 3 एससीसी 242, विभेदित।।

2.1. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति के प्रयोग के संबंध में, वर्तमान मामले में, न तो कोई क़ानून, न ही नियम और न ही झारखंड राज्य की नीति में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पदों का कुछ प्रतिशत शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरने का प्रावधान है। शारीरिक रूप से प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार को दिया गया कोई भी निर्देश राज्य के किसी भी नियम या नीति से नहीं निकलता है और इस तरह उनके पक्ष में आरक्षण करने का निर्देश एक नीति तैयार करने के बराबर होगा और इसे राज्य सरकार में निहित विवेक का प्रयोग करने में विफलता नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 13] [761-बी-ई]

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ज्ञान प्रकाश, नई दिल्ली एवं अन्य बनाम के.एस. जगन्नाथन एवं अन्य 1986 (2) एस.सी.आर. 17 = (1986) 2 धारा 679 - प्रतिष्ठित।

2.2. रिट याचिकाकर्ताओं ने कभी भी नियमों के संशोधन को चुनौती नहीं दी थी, जिसमें प्रावधान था कि शारीरिक प्रशिक्षित उम्मीदवार केवल शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे और आयोग द्वारा जारी शुद्धिपत्र में उनकी पात्रता को केवल शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए सीमित कर दिया गया था। नियमों में संशोधन के आलोक में, आयोग ने शुद्धिपत्र जारी किया और रिट याचिकाकर्ताओं की तरह C.P.Ed / Dip.P.Ed. की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी को केवल शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों तक सीमित कर दिया। इसने उस आधार पर परीक्षा आयोजित की और रिट याचिकाकर्ताओं ने उस पर कोई चुनौती दिए बिना चयन प्रक्रिया में भाग लिया और परीक्षा में शामिल हुए। परिणाम प्रकाशित होने और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की पूरी रिक्तियों के खिलाफ

उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किए जाने के बाद ही उन्होंने रिट याचिका दायर करने का फैसला किया है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की पूरी रिक्तियों के खिलाफ रिट याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार करने का कोई भी निर्देश तय स्थिति को अस्थिर कर देगा और इसके परिणामस्वरूप श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होगी, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की नियुक्ति प्रभावित होगी। [पैरा 15-16) [762-एफ-जी; 764-सी-डी]

राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम चानन राम 1998 (1) एससीआर 1099 = (1998) 4 एससीसी 202, पर भरोसा किया गया।

2.3. उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के 5% रिक्त पदों को शारीरिक प्रशिक्षित उम्मीदवारों से भरने का निर्देश देकर गलती की है। हालाँकि, यह न्यायालय यह उचित समझता है कि यदि अपीलकर्ताओं ने कोई नीति नहीं बनाई है, तो उन्हें नियुक्ति की अगली प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक नीति बनानी चाहिए। [पैरा 17] [785-ए-बी]

ए.ए. कैल्टन बनाम शिक्षा निदेशक (1983) 3 एससीसी 33; एन.टी. डेविन कट्टी बनाम कर्नाटक पीएससी (1990) 3 एससीसी 157; गोपाल कृष्ण रथ बनाम एम.ए.ए. बेग (1999) 1 एससीसी 544; तथा महाराजा चिंतामणि शरण नाथ सहदेव बनाम बिहार राज्य 1999 (3) अनुपूरक एससीआर 518 = (1999) 8 अनुच्छेद 16 - उद्धृत।

केस लॉ संदर्भ:

1986 (2) एससीआर 17	**प्रतिष्ठित**	**पैरा 10**
1976 (2) एससीआर 115	**प्रतिष्ठित**	**पैरा 10**
(1983) 3 एससीसी 33	**उद्धृत**	**पैरा 14**
1999 (1) एससीसी 544	**उद्धृत**	**पैरा 14**
1999 (3) पूरक SCR 518	**उद्धृत**	**पैरा 14**

(1990) 3 एससीसी 157 उद्धृत पैरा 14

1998 (1) एससीआर 1099 भरोसा किया पैरा 17

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 8118-81 21/2010.

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिनांक 23.12.2005 के निर्णय एवं आदेश से, एल.पी.ए. संख्या 161 एवं 87/2004, डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 3889 एवं 3100/2004।

के साथ

सी.ए. संख्या 8122, 8123-8124 वर्ष 2010.

गोपाल प्रसाद, कृष्णानंद पांडेय, रतन कुमार चौधरी अपीलकर्ताओं की ओर से।

प्रतिवादियों की ओर से सुनील कुमार, अजय कुमार, अरुण कुमार बेरीवाल, अनिल कुमार तांडले, ए.पी. सहार्या, संदीप नागोरा, हिमांशु शेखर, पवन कुमार मिश्रा, कुमुद लता दास।

न्यायालय का निर्णय चन्द्रमौली के. एन. प्रसाद, जे द्वारा दिया गया -

1. अपीलकर्ता, झारखंड राज्य और उसके पदाधिकारी, झारखंड उच्च न्यायालय के एलपीए संख्या 161/2004 में पारित दिनांक 23 दिसंबर, 2005 के निर्णय और आदेश तथा समरूप अपीलों से व्यथित होकर न्यायालय की अनुमति से ये अपीलें प्रस्तुत की हैं।

2. अनावश्यक विवरण से हटकर, वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि झारखंड के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियम, 2002 (जिसे आगे नियम कहा जाएगा) बनाया है।

नियमों के नियम 2(बी) में 'प्रशिक्षित' की परिभाषा इस प्रकार है:

"2. परिभाषाएँ: -

xxxxxxx

(b). 'प्रशिक्षित' का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान से निम्नलिखित प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उत्तीर्ण किया है-

(i) दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण, या

(ii) B.Ed/Dip.में Ed./Dip. में टीचिंग और

(iii) C.P.Ed/Dip.P.Ed

xxx xxxx"

3. नियम 3 के तहत झारखंड लोक सेवा आयोग (जिसे आगे 'आयोग' कहा जाएगा) को प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के पदों को भरने के लिए मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और नियम 2(बी) में परिभाषित अनुसार प्रशिक्षित भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने की शक्ति दी गई है। नियम 3 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, आयोग ने 24 अगस्त, 2002 को सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन में निर्धारित पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

"आवेदक को चाहिए-

(a) वह भारत का नागरिक हो;

(b) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है; और

(c) दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण या B.Ed/Dip.में Ed./Dip. इन टीचिंग या C.P.Ed. या Dip.P.Ed

झारखंड प्राथमिक विद्यालय नियुक्ति संशोधन नियम, 2003 द्वारा नियम 2(बी) में संशोधन किया गया, जिसे 6 मार्च, 2003 को प्रकाशित किया गया, जिसके तहत नियम 2(बी)(iii) के बाद 'केवल शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए' शब्द जोड़े गए। संशोधन के बाद नियम 2(बी) इस प्रकार है:

2. परिभाषाएँ:

xxxxxx

(b) "प्रशिक्षित" का अर्थ है वे व्यक्ति जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान से निम्नलिखित प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उत्तीर्ण किया है:"

(i) दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण, या

(ii) बी.एड./डिप्लोमा इन एड./डिप्लोमा इन टीचिंग; और

(iii) सी.पी.एड./डिप्लोमा.पी.एड. केवल शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए

नियमों में उपर्युक्त संशोधन के आलोक में, प्रथम आयोग ने 22 अप्रैल, 2003 को शुद्धिपत्र प्रकाशित किया और यह प्रावधान किया कि सी.पी.एड./डी.पी.एड. रखने वाले अभ्यर्थी केवल शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों के पद के लिए रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए पात्र माने जाएंगे।

4. आयोग ने पात्र उम्मीदवारों की परीक्षा आयोजित की जिसमें रिट याचिकाकर्ता शामिल हुए, उनके परिणाम प्रकाशित नहीं किए गए और उनकी उम्मीदवारी केवल शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों तक ही सीमित थी। इससे व्यथित होकर, उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार और उसके पदाधिकारियों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की संपूर्ण रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए उनके मामलों पर विचार करने का आदेश देने के लिए एक रिट जारी करने की प्रार्थना की गई और साथ ही यह निर्देश देने की भी मांग की कि उनकी उम्मीदवारी केवल शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों के रिक्त पदों तक ही सीमित न हो।

5. विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2 दिसंबर, 2003 के अपने फैसले में रिट याचिका को खारिज कर दिया, अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी करते हुए कि रिट याचिकाकर्ताओं के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है और इसलिए वे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पद पर

नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के हकदार नहीं हैं। ऐसा करते समय, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "इस मामले में, निश्चित रूप से, याचिकाकर्ताओं ने शारीरिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त किया है जो शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षक के पद के लिए आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए उम्मीदवार के पास प्रशिक्षित शिक्षक की योग्यता होनी चाहिए, यानी 8.एड./डिप्लोमा-इन-एड/डिप्लोमा-इन-टीच। इसलिए, मेरी सुविचारित राय में, याचिकाकर्ताओं के पास प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं है।"

6. इससे व्यथित होकर, रिट याचिकाकर्ताओं ने अपील दायर की और उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 23 दिसंबर, 2005 के आदेश द्वारा निम्नलिखित निर्देश के साथ अपीलों का निपटारा किया:

(i) "फिलहाल प्रतिवादी प्राथमिक शिक्षकों की कुल रिक्तियों के कम से कम 5% पदों पर शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करें तथा जेपीएससी ऐसे अभ्यर्थियों के लंबित परिणाम प्रकाशित करे, जिनका परिणाम अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, तथा उक्त रिक्तियों की संख्या के अनुसार इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/प्रस्तुत होने की तिथि से एक माह के भीतर अविलंब परिणाम प्रकाशित करे।

(ii) राज्य प्रतिवादी भविष्य में रिक्तियों पर नियुक्ति तथा विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों के कैडर तथा उनकी पदोन्नति के अवसर या ऐसे किसी अन्य संबद्ध मामले के संबंध में स्पष्ट नीतिगत निर्णय के साथ आ सकते हैं।

(iii) चूंकि वर्तमान में कोई पृथक कैडर नहीं है और शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के कैडर में आते हैं, इसलिए यह माना जाता है कि अपीलकर्ता और अन्य, जिनके पास शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों

की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता है, प्राथमिक शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के हकदार हैं और वे कुल मौजूदा रिक्तियों के 5% और आरक्षित पदों की सीमा तक नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं।

(iv) शारीरिक प्रशिक्षित अभ्यर्थी जिनके पास B.Ed./Dip-in-Ed/Dip-in-Teach या अन्य समकक्ष प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रमाण-पत्र नहीं है, उन्हें सामान्य विषयों के प्राथमिक शिक्षकों के लिए निर्धारित पदों पर नियुक्ति के लिए अपना दावा प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है तथा उनका अधिकार उनके लिए निर्धारित पदों के अनुपात के प्रतिशत तक ही सीमित रहेगा। हालांकि, शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों के रूप में नई नियुक्ति के बाद, उन्हें कक्षाओं के आवंटन या अनुशासनात्मक आचरण के उद्देश्य से किसी अन्य प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के समान माना जा सकता है।"

7. उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य की नीति को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की कुल रिक्तियों के 5% पर शारीरिक प्रशिक्षित उम्मीदवारों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। इसने देखा कि शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षक और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अलग-अलग संवर्ग के नहीं हैं और इसके अलावा झारखंड सरकार ने राज्य में शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों की संख्या या अनुपात के बारे में कोई निश्चित योजना या नीति नहीं बनाई है। इसने यह भी देखा कि बिहार राज्य ने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की रिक्तियों के 5% की सीमा तक शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया था और राज्यों के पुनर्गठन की तारीख से पहले मौजूद नीति को संशोधित नहीं किया गया है और न ही झारखंड राज्य द्वारा कोई अन्य नीतिगत निर्णय लिया गया है।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री गोपाल प्रसाद ने कहा कि शारीरिक प्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत नीतिगत मामला है और उच्च न्यायालय ने

अपीलकर्ताओं को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के 5% रिक्त पदों को शारीरिक प्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरने का निर्देश देकर गलती की है। उन्होंने बताया कि नियमावली के नियम 16 ने बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 1991 और बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संशोधन नियुक्ति नियमावली, 1993 या बिहार सरकार द्वारा झारखंड राज्य में लागू किए गए किसी अन्य अधिनियम या नियम को निरस्त कर दिया है। तदनुसार, उन्होंने कहा कि बिहार राज्य के तथाकथित नीतिगत निर्णय पर भरोसा करना बिल्कुल गलत है और उच्च न्यायालय ने उक्त नीतिगत निर्णय पर भरोसा करके गलती की है।

9. प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री अजय कुमार ने हालांकि यह दलील दी कि हर स्कूल को एक शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षक की जरूरत होती है और झारखंड राज्य के पास इस बारे में कोई नीति नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के 5% रिक्त पदों को शारीरिक प्रशिक्षित उम्मीदवारों से भरने का निर्देश देकर कोई गलती नहीं की। उनके अनुसार, इस न्यायालय को नीति बनाने का निर्देश देने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ज्ञान प्रकाश, नई दिल्ली और अन्य बनाम के.एस. जगन्नाथन और अन्य (1986) 2 एससीसी 679 के इस न्यायालय के फैसले का हवाला दिया। इस मामले में, यह इस प्रकार माना गया है:

> "20. इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए परमादेश रिट या परमादेश की प्रकृति में रिट जारी करने या आदेश पारित करने और आवश्यक निर्देश देने की शक्ति है, जहां सरकार या कोई सार्वजनिक प्राधिकरण किसी क़ानून या नियम या सरकार के नीतिगत निर्णय द्वारा उसे दिए गए विवेक का प्रयोग करने में विफल रहा है या गलत तरीके से प्रयोग किया है या ऐसे विवेक का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण या अप्रासंगिक विचारों पर या प्रासंगिक विचारों और सामग्रियों की अनदेखी करके या इस तरह से किया है कि ऐसे विवेक को प्रदान करने का उद्देश्य या जिस नीति के कार्यान्वयन के

लिए ऐसा विवेक प्रदान किया गया है, उसे विफल कर दिया है। ऐसे सभी मामलों में और किसी भी अन्य उचित और उचित मामले में, एक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए परमादेश रिट या परमादेश की प्रकृति में रिट जारी कर सकता है या सरकार को दिए गए विवेक का उचित और वैध तरीके से प्रदर्शन करने के लिए आदेश पारित कर सकता है और निर्देश दे सकता है। या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण, और उचित मामले में, संबंधित पक्षों के साथ होने वाले अन्याय को रोकने के लिए, न्यायालय स्वयं आदेश पारित कर सकता है या निर्देश दे सकता है जो सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को पारित करना चाहिए था या देना चाहिए था: यदि उसने उचित और वैध रूप से अपने विवेक का प्रयोग किया होता।"

10. श्री कुमार ने आगे बताया कि जहां तक शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति का संबंध है, बिहार राज्य की नीति, नियम 16 के कारण प्रभावित नहीं होगी। इस दलील के समर्थन में, पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम बलबीर सिंह एवं अन्य (1976) 3 धारा 242 में इस न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया गया है, जो इस प्रकार है:

> "... हमारे निर्णय में, जब किसी विशेष राज्य की संप्रभुता में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यह केवल किसी विशेष राज्य के पुनर्गठन द्वारा क्षेत्रों का समायोजन होता है, तो पूर्ववर्ती राज्य की सरकार द्वारा किए गए प्रशासनिक आदेश तब तक प्रभावी और प्रभावी बने रहते हैं और उत्तराधिकारी राज्य पर बाध्यकारी होते हैं, जब तक कि उन्हें उत्तराधिकारी राज्यों की सरकारों द्वारा संशोधित, परिवर्तित या अस्वीकृत नहीं किया जाता है।"

11. हमने प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील की दलीलों में दम पाया है। उच्च न्यायालय ने पाया है कि झारखंड सरकार ने आज तक शारीरिक प्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या के बारे में कोई नीति नहीं बनाई है। हमारी राय में, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के कितने पद शारीरिक प्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने चाहिए, यह राज्य के लिए नीति का सवाल है। नीति बनाने में,

विभिन्न इनपुट की आवश्यकता होती है और किसी न्यायालय के लिए यह न तो वांछनीय है और न ही उचित है कि वह सरकार को कोई विशेष नीति अपनाने के लिए निर्देश दे या संक्षेप में बताए, जिसे वह उचित या उचित समझे। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि नीति बनाने में राज्य सरकार को स्वतंत्रता और स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अलावा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अदालतें प्रतिस्पर्धी दावों और परस्पर विरोधी हितों से निपटने के लिए अयोग्य हैं। अक्सर, अदालतों के पास यह तय करने के लिए संतोषजनक और प्रभावी साधन नहीं होते हैं कि मामले की परिस्थितियों में कई प्रतिस्पर्धी विकल्पों में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है। कोई यह तर्क दे सकता है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना देश के विकास के लिए आवश्यक है। जबकि अन्य लोग तर्क देते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का शारीरिक प्रशिक्षण आवश्यक है क्योंकि इससे राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। जैसा कि वर्तमान मामले में, शिक्षण में प्रशिक्षित उम्मीदवारों का दावा है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पद उनके द्वारा भरे जाने चाहिए और शारीरिक रूप से प्रशिक्षित उम्मीदवारों को केवल शारीरिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए ही माना जाना चाहिए क्योंकि शिक्षा में किसी भी प्रशिक्षण के अभाव में वे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए सुसज्जित नहीं हैं, जबकि शारीरिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों का तर्क है कि उन्हें दोनों पदों के लिए नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए। हमारी राय में, इन परस्पर विरोधी दावों को नीति निर्माताओं द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, हमारे पास प्राथमिक विद्यालयों की संख्या, शारीरिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा खर्च किए जा सकने वाले संसाधनों और उनकी आवश्यकता के संबंध में आँकड़े नहीं हैं। ऐसी स्थिति में, नीति के मामलों में किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं है।

12. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने स्वयं पाया है कि झारखंड राज्य में शारीरिक प्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले शिक्षकों के पदों की संख्या के संबंध में कोई नीति नहीं है। बिहार राज्य में नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले अधिनियम और नियम झारखंड राज्य में नियुक्ति को नियंत्रित नहीं करते हैं और उन्हें नियमों के नियम 16 द्वारा विशेष रूप से निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा, दोनों राज्यों की

ज़रूरतें समान नहीं हो सकती हैं और इसलिए झारखंड राज्य के लिए इस संबंध में एक नीति तैयार करना आवश्यक था। इसके मद्देनजर, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य की नीति पर भरोसा करके और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के 5% पदों को शारीरिक प्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरने का निर्देश देकर गलती की है।

13. अब हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक/(सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय की ओर लौटते हैं, जिस पर प्रतिवादियों ने भरोसा किया है। उक्त मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने माना है कि परमादेश तब जारी किया जा सकता है, जब सरकार या कोई सार्वजनिक प्राधिकरण किसी क़ानून, नियम या नीतिगत निर्णय द्वारा उसे दिए गए विवेक का प्रयोग करने में विफल रहा हो या गलत तरीके से प्रयोग किया हो। यह भी देखा गया है कि किसी सार्वजनिक कर्तव्य के पालन के लिए बाध्य करने के लिए न्यायालय स्वयं आदेश/निर्देश पारित कर सकता है। यहां, वर्तमान मामले में, न तो कोई क़ानून, नियम या झारखंड राज्य की नीति प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पदों का कुछ प्रतिशत शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरने का प्रावधान करती है। शारीरिक रूप से प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार को कोई निर्देश नहीं दिया गया है। राज्य के किसी भी नियम या नीति से उत्पन्न नहीं होता है और इस प्रकार उनके पक्ष में आरक्षण करने का निर्देश एक नीति तैयार करने के समान होगा और इसे राज्य सरकार में निहित विवेक का प्रयोग करने में विफलता नहीं कहा जा सकता है।

प्रतिवादियों द्वारा भरोसा किए गए बलबीर सिंह (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि राज्य के पुनर्गठन के बाद पूर्ववर्ती राज्य की सरकार द्वारा किए गए प्रशासनिक आदेश उत्तराधिकारी राज्य पर लागू और बाध्यकारी बने रहेंगे, लेकिन ऐसा करते हुए इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि वे तब तक बाध्यकारी रहेंगे, जब तक कि उन्हें उत्तराधिकारी राज्य की सरकार द्वारा संशोधित, परिवर्तित या अस्वीकृत नहीं किया जाता। जैसा कि पहले कहा गया है, नियम 16 ने बिहार राज्य में प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की

नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले अधिनियम और नियमों को विशेष रूप से निरस्त कर दिया था और यह देखा गया है कि वे झारखंड राज्य में नियुक्तियों को नियंत्रित नहीं करेंगे। इस दृष्टि से बलबीर सिंह (सुप्रा) के मामले में जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह स्पष्ट रूप से अलग है।

14 प्रतिवादियों का तर्क है कि 6 मार्च, 2003 की अधिसूचना द्वारा नियमों के नियम 2(बी)(iii) में संशोधन, संबंधित नियुक्ति पर लागू नहीं होगा क्योंकि नियुक्ति की प्रक्रिया, उस तारीख से पहले आवेदन आमंत्रित करके 24 अगस्त, 2002 को शुरू हुई थी। यह बताया गया है कि संशोधन से पहले नियमों के तहत पहले से हासिल किए गए बी अधिकार और लाभ नियमों में संशोधन करके नहीं छीने जा सकते। इस बात पर जोर दिया जाता है कि प्रतिवादियों ने विचार किए जाने का निहित अधिकार हासिल कर लिया है और उनके अधिकार विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से ही स्पष्ट हो गए हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि नियुक्ति की प्रक्रिया विज्ञापन के साथ शुरू हुई थी, जो कि नियुक्ति का एक अभिन्न अंग होने के कारण परिणाम की घोषणा और परिणामी नियुक्ति पर समाप्त हो जाएगी, इसलिए उम्मीदवारों पर नियमों और विज्ञापन में शुरू में दिए गए पात्रता मानदंडों के आधार पर विचार किया जाना आवश्यक है। एन. टी. डेविन कट्टी बनाम कर्नाटक पीएससी (1990) 3 एससीसी 157; गोपाल कृष्ण रथ बनाम एम.ए. बेग (1999) 1 एससीसी 544 और महाराजा चिंतामणि शरण नाथ सहदेव बनाम बिहार राज्य (1999) 8 एससीसी 16।

15. हमें प्रतिवादियों के वकील की दलीलों में कोई सार नहीं मिला। यहाँ यह बताना उचित है कि रिट याचिकाकर्ताओं ने कभी भी नियमों में संशोधन को चुनौती नहीं दी थी, जिसमें प्रावधान था कि शारीरिक प्रशिक्षित उम्मीदवार केवल शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्र होंगे और आयोग द्वारा जारी किए गए शुद्धिपत्र में उनकी पात्रता को केवल शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों तक ही सीमित रखा गया था। रिट याचिका में उनकी प्रार्थनाएँ इस प्रकार थीं:

"इसलिए, यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि आपके माननीय सदस्य इस मामले को स्वीकार करने की कृपा करें, प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें और निम्नलिखित राहत के लिए निर्देश दें:

(I) प्रतिवादियों को तत्काल और तत्काल इन याचिकाकर्ताओं के परिणाम प्रकाशित करने का आदेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक उचित रिट जारी करने के लिए, इस तथ्य के मद्देनजर कि अनुलग्नक -1 के संदर्भ में, यानी विज्ञापन दिनांक 24.8.2002 के अनुसार सभी याचिकाकर्ताओं ने 9223 सीटों में से प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था और जामताड़ा जिले में 528 रिक्त दिखाए गए थे, लेकिन अब केवल इस तथ्य के कारण कि उनके पास शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों की योग्यता है, उन्हें इस आधार पर रोक दिया गया है कि उनकी नियुक्ति केवल गिरिडीह और लोहरदगा जिले में शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों के रिक्त पद के लिए की जाएगी;

(II) प्रतिवादियों, विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 2, को आदेश देने के लिए एक उचित रिट के लिए, कि वे प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए इन याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करें, जबकि कुल 9233 रिक्तियां हैं, जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया था और जिसके लिए याचिकाकर्ताओं ने झारखंड राज्य के केवल चार जिलों में उनकी उम्मीदवारी को सीमित करके विचार न करने का आवेदन किया था;

[III] प्रतिवादियों को यह निर्देश देने के लिए कि वे याचिकाकर्ताओं को प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पद पर तत्काल नियुक्त करें, इस तथ्य के मद्देनजर कि परीक्षाएं पहले ही 27.5.2003 को आयोजित की जा चुकी थीं और दोनों याचिकाकर्ताओं ने उक्त परीक्षा में बहुत अच्छी तैयारी की थी; तथा

[IV] किसी अन्य उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश के लिए जिसे माननीय न्यायाधीश वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर याचिकाकर्ता के साथ न्याय करने के लिए उपयुक्त और उचित समझें।"

16. वर्तमान अपीलों में रिट याचिकाकर्ताओं ने पहली बार यह तर्क देने का प्रयास किया है कि 6 मार्च, 2003 को नियम 2(b)(iii) में किया गया संशोधन, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि केवल C.P.Ed / Dip.P.Ed. रखने वाले अभ्यर्थी ही शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए पात्र होंगे, पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता तथा उनके मामले असंशोधित नियमों द्वारा शासित होंगे। यह इंगित किया गया है कि संशोधन पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं किया गया है। हम वर्तमान अपील में इस प्रश्न पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि नियमों में संशोधन के आलोक में आयोग ने शुद्धिपत्र जारी किया तथा रिट याचिकाकर्ताओं की तरह C.P.Ed / Dip.P.Ed. योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी को केवल शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षक के पदों तक सीमित कर दिया। इसने उस आधार पर परीक्षा आयोजित की तथा रिट याचिकाकर्ताओं ने इसे कोई चुनौती दिए बिना चयन प्रक्रिया में भाग लिया तथा बिना किसी शोर-शराबे के परीक्षा में शामिल हुए। परिणाम प्रकाशित होने के बाद ही और प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की संपूर्ण रिक्तियों के विरुद्ध उनकी उम्मीदवारी पर विचार न किए जाने के बाद ही उन्होंने उपरोक्त राहत के साथ रिट याचिका दायर करने का विकल्प चुना है। प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की संपूर्ण रिक्तियों के विरुद्ध रिट याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार करने का कोई भी निर्देश तयशुदा मामले को अस्थिर कर देगा और इसके परिणामस्वरूप श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होगी, जिससे बड़ी संख्या में व्यक्तियों की नियुक्ति प्रभावित होगी।

17. इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम चानन राम (1998) 4 एससीसी 202 के मामले में, इस न्यायालय ने माना कि सरकार को बदले हुए नियमों के अनुसार चयन करने और अंतिम भर्ती करने का अधिकार है। उक्त मामले में, यह इस प्रकार देखा गया है:

> "17 ..... जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उन्हें उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार विचार किए जाने की केवल वैध उम्मीद थी। संशोधित नियमों का केवल भावी संचालन था। सरकार बदले हुए नियमों के अनुसार चयन करने और अंतिम भर्ती करने की हकदार थी। जाहिर है कि किसी भी उम्मीदवार ने राज्य के खिलाफ कोई निहित अधिकार हासिल नहीं किया। इसलिए, राज्य को उस अधिसूचना को वापस लेने का अधिकार था जिसके द्वारा उसने पहले भर्ती को अधिसूचित किया था और संशोधित नियमों के आधार पर उस संबंध में नई अधिसूचना जारी करने का अधिकार था ....."

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादियों द्वारा भरोसा किए गए अधिकारियों पर विस्तार से विचार करना अनुचित है। हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के 5% रिक्त पदों को शारीरिक प्रशिक्षित उम्मीदवारों से भरने का निर्देश देकर गलती की है। हालाँकि, हम यह उचित समझते हैं कि यदि अपीलकर्ताओं ने कोई नीति नहीं बनाई है, तो उसे नियुक्ति की अगली प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक नीति बनानी चाहिए।

18. परिणामस्वरूप, हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं, विवादित निर्णय को रद्द करते हैं और लागत के संबंध में कोई आदेश दिए बिना रिट याचिका को खारिज करते हैं।

आर पी **अपील स्वीकार की गई**।

<u>यह अनुवाद मधु कुमारी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया है।</u>